OFFICE OF JILLA PANCHAYAT ADMINISTRATIVE SANCTION - CONTD.

2.2 योजना राशि का निर्गम :- योजना राशि का निर्गप पंचायते एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2 (क्रमांक 13908/ 22 / आर.जी.एम. / एस.जे. / वि-8 / 95 / दि. 25-07-95 के अनुनासक क्रमांक 4 सहपठित अनुनासनक कमांक 3 कें⁷ जजुशा/ किय जावेगा । प्रशासनिक मद में उल्लेखित राशि का निर्गम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2 क्रमेंकि 13008 / 22 / आर.जी.एम. / एस.जे./ वि-8/ 95 / दिनांक 25-07-95 के अनुलग्नक कमांक 3 वर्णित वजट के अनुसार डी.आर.डी.ए. पेरियोजना अधिकारी मिली वाटर शेड तथा ग्रामस्तरीय वाटर शेड कमेटियो को किया जावेगा ।

2.3 वाटर शेड कमेटी, पी.आई. ए. तथा जिला स्तर पर व्यय की गई समस्त राशियां तथा प्रोप्तियों का लेखा एवं कार्य की प्रगति क विवरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन के आदेश कें. 6 (क्रमांक 4636/22 / आर.जी.एम./वि-9 / 96 दिनांक / मार्च 96) के अनुसार अनिवार्य रूप से रखा जावेगा ।

2.4 चार वर्ष वाद राशियों का आहरण तथा व्यय राज्य शासन की अनुमति उपरान्त ही किया जा सकेगा |

2.5 कंडिका एक के अनुसार मदवार दी गई प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाये । विभिन्न मेटो के अनुगंन वचत की दशा में उसे अन्य मद में समायोजित नहीं किया जा सकेगा इस प्रकार की वचत को डी.आर.डी.ए. मे वापस किया जीमें होगा । मदवार प्रावधानित राशि का किसी भी प्रकार से पुनर्वियोजन सम्भव नहीं है ।

2.6 परियोजना के कार्यों का कियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुरूप ही किय जावेगा । Pas

03. तकनीकी स्वीकृतियां :-

3.1 परियोजना अधिकारी मिलीवाटर शेड द्वारा रू. 2.00 (दा लाख मात्र) की सीमा तक कार्यवार, यथा ट्रेचिंग , वोल्डर चैक इत्यारि तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगीं । इसकी प्रशासकीय स्वीकृति योजना की स्वीकृति में निहित हैं अतः प्रथक से नहीं दी जावेगी ।

🔩 3.2 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 2.00 लाख से अधिक की संरचना की तकनीकी स्वीकृति जिला स्तरीय वाटर शे सलाहकार समिति आदेश कमांक 2 दिनांक 25-07-95 के पैरा 7.1.1 में उल्लेखित जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति क अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों में तथा अन्य विकल्प के अभाव में मिशन संचालक की सहमति के उपरान्त ही जा संकेंगी।

04. योजना लागत की अधिकतम सीमा :-

4.1 वाटर शेड कार्य योजना का सकल व्यय रू. 4000/- प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा तथा इसमें पैस 1 में उल्लेखित गंभी भ सम्पलित हैं । योजना व्यय की उल्लेखित सामा में परिवर्तन का अधिकार भारत सरकार द्वारा मानक परिवर्तन की स्थिति में प्राप्ती विकास विभाग के निर्देश पर सम्भव है ।

> 01-कलेक्टर/मिशन लीडर राजीव गांधी वाटर शेड मिशन जला सतना म.ज. सतना, दिनांक .8.1.99

पृष्ठा. कं. / डी.एस.एम.ए. / आर.जी.एम. / 97)-98 📿 🍳 प्रतिनिपि.

01. विकास आयुक्त म.प्र. भोपाल ।

02. आयुक्त रीवां सम्भाग रीवां ।

03. संचालक सजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रवंधन - मिशन विकास आयक्त कार्यालय विंध्याचल भवन भोपाल 🕸 04. परियोजना अधिकारी मिलीवाटर शेड

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

कलेक्टर/मिश्रन लीडर राजीव गांधी वाटर शेड मिशन

💪 जला सतना म.प्र.